हिंदी व्याकरण

(व्याकरण एवं भाषा अध्ययन)

Sample Preview

Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

www.LinkingLaws.com

क्रमणिका

क्र. सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	**भाषा-व्याकरण एवं लिपि का परिचय**	**3-4**
2.	**वर्ण-विचार**	**5-7**
3.	**शब्द**	**8-16**
	I. उत्पत्ति/स्रोत/इतिहास के आधार पर (तत्सम & तद्भव)	8-13
	II. व्युत्पत्ति/रचना/बनावट के आधार पर	13
	III. रूप/प्रयोग/व्याकरणिक विवेचन के आधार पर	13-14
	IV. अर्थ के आधार पर	14
4.	**शब्द विचार**	**17-35**
	(अ) विकारी शब्द	**17-33**
	I. संज्ञा	17-20
	II. सर्वनाम	21-24
	III. क्रिया	25-29
	IV. विशेषण	30-33
	(आ) अविकारी शब्द	**34-35**
	I. क्रिया-विशेषण	34
	II. समुच्चयबोधक	34
	III. संबंधबोधक	34
	IV. विस्मयाद्बोधक अव्यय	35
	V. सकारात्मक/नकारात्मक	35
5.	**पद – परिचय**	**36-37**
6.	**शब्द शक्तियाँ**	**38-39**
7.	**शब्द रूपांतरण**	**40-51**
	I. लिंग	40-41
	II. वचन	42
	III. कारक	43-46
	IV. काल	47
	V. वाच्य	48-51
8.	**संधि**	**52-68**
9.	**समास एवं समास-विग्रह**	**69-77**
10.	**उपसर्ग**	**78-82**
11.	**प्रत्यय**	**83-85**
12.	**पर्यायवाची शब्द**	**86-89**
13.	**विलोम शब्द**	**90-92**
14.	**वाक्यांश के लिए एक शब्द**	**93-97**
15.	**समानार्थक/एकार्थक शब्द/श्रुतसम**	**98**
16.	**विराम चिह्न**	**99-102**
17.	**शब्द शुद्धि**	**103-108**
18.	**वाक्य शुद्धि**	**109-115**
19.	**मुहावरे**	**116-117**
20.	**लोकोक्तियाँ**	**118-119**
21.	**पारिभाषिक शब्दावली**	**120-126**
22.	**संक्षिप्तीकरण**	**127-128**

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

अध्याय- 1
भाषा-व्याकरण एवं लिपि का परिचय

मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्त्व सम्प्रेषण के माध्यम का रहा है और वह माध्यम है-भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान-विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं।

संसार में संस्कृत, हिंदी, अँगरेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगू, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रैन्च, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएँ हैं। भारत अनेक भाषा-भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र-भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा (राजकार्य भाषा) है।

भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक व दूसरा लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिन्तन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक-सी नहीं रहती अपितु उसमें दूसरी बोलियोंभाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान-प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द-भण्डार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भण्डार के मिश्रण से किया है किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी-फारसी, अँगरेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। भाषा स्थायी नहीं होती उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में यह परिवर्तन धीरे-धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई-नई भाषाएँ बनती रहती हैं। इसी कारण संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिन्धी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है।

भाषा के भेद

जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं।

(1) मौखिक भाषा

(2) लिखित भाषा।

मूलतः सामान्य जन-जीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है, इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर सम्प्रेषण-व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है। जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतन्त्र लिपि-चिह्नों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है।

भाषा और बोली

एक सीमित क्षेत्र में बोले जानेवाले भाषा के स्थानीय रूप को 'बोली' कहा जाता है जिसे 'उप भाषा' भी कहते हैं। कहा गया है कि 'कोस-कोस पर पानी बदले, पाँच कोस पर बानी'। हर पाँच-सात मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा जिसका व्याकरण नहीं होता व शब्दकोश भी नहीं होता, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है।

हिंदी की बोलियाँ-

हिंदी केवल खड़ी बोली (मानक भाषा) का ही विकसित रूप नहीं है बल्कि जिसमें अन्य बोलियाँ भी समाहित हैं जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार हैं-

1. पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल हैं।
2. पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बाँगरू (हरियाणवी), बुन्देली तथा कन्नौजी शामिल हैं।
3. बिहारी की प्रमुख बोलियाँ मगही, मैथिली तथा भोजपुरी हैं।
4. राजस्थानी की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती बोलियाँ शामिल हैं।
   कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाडी तथा बागडी को भी राजस्थानी की अलग बोलियाँ मानते है।
5. पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊँनी तथा मंडियाली बोलियाँ हिंदी की बोलियाँ हैं।
   इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है।

हिंदी भाषा और व्याकरण

हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देनेवाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों-प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण-विचार, शब्द-विचार, वाक्य विचार आदि तीन वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

अध्याय - 7
शब्द रूपांतरण

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। विकार उत्पन्न करनेवाले कारक तत्त्व जिनसे शब्द के रूप में परिवर्तन होता है, वे इस प्रकार हैं-

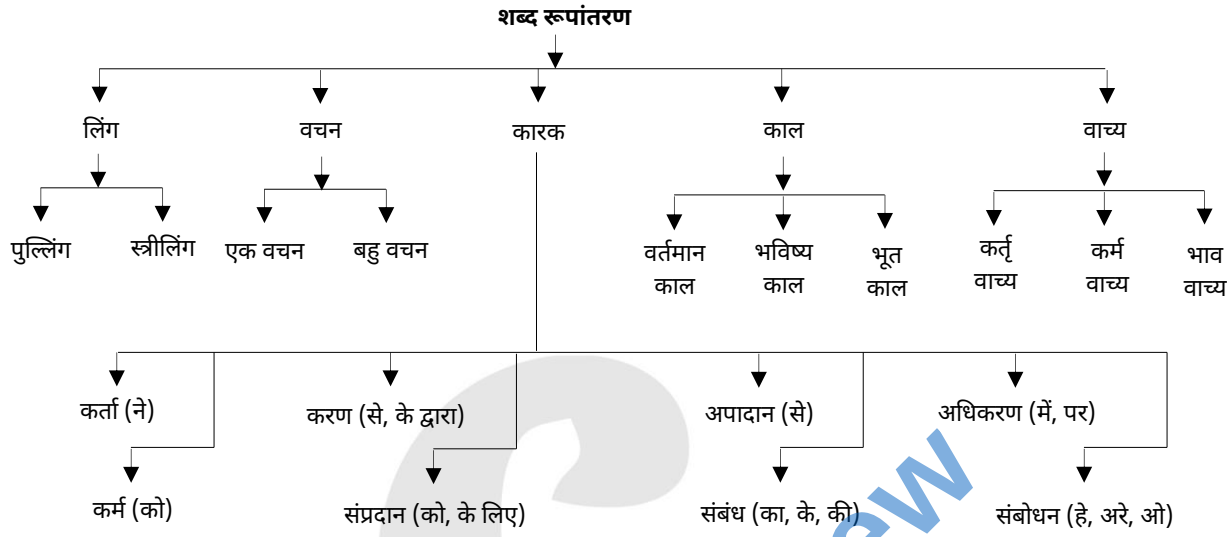

7.1 लिंग

लिंग शब्द का अर्थ होता है चिह्न या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है।

हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं-

(i) **पुल्लिंग-** जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसेमेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक आदि।

(ii) **स्त्रीलिंग**- जिससे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसेमेरी, काली, जाती, बहिन, विमला, अध्यापिका आदि।

लिंग की पहचान के नियम - लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे-

(i) दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे-सोमवार, चैत्र, अगस्त आदि।

(ii) पर्वतों एवं पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे-हिमालय, अरावली, बबूल, नीम, आम आदि।

(iii) अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे-चावल, गेहूँ, तेल, घी, दूध आदि।

(iv) ग्रहों एवं रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे-सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती आदि।

(v) अंगों के नाम, देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे-कान, हाथ, सिर, इन्द्र वरुण, पैर आदि।

(vi) कुछ धातुओं के एवं समयसूचक नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे-सोना, लोहा, ताँबा, क्षण, घंटा आदि।

(vii) भाषाओं एवं लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है, जैसे-हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी आदि।

(viii) नदियों एवं तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे-गंगा, यमुना, प्रथमा, पंचमी आदि।

(ix) लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे-मालती, अमरबेल आदि।

लिंग परिवर्तन - पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम इस प्रकार हैं-

(i) **शब्दांत 'अ' को ' आ' में बदलकर-**

छात्र	-	छात्रा
वृद्ध	-	वृद्धा
पूज्य	-	पूज्या
भवदीय	-	भवदीया
सुत	-	सुता
अनुज	-	अनुजा

(ii) **शब्दांत 'अ' को 'ई' में बदलकर-**

देव	-	देवी
ब्राह्मण	-	ब्राह्मणी
पुत्र	-	पुत्री
मेंढक	-	मेंढकी

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

अध्याय - 8
संधि

संधि का शाब्दिक अर्थ है- योग , मेल या 'समझौता'। अर्थात् दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं।

परिभाषा- जब दो वर्ण पास-पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है अर्थात् वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है।

कामताप्रसाद गुरु के अनुसार, 'दो निर्दिष्ट अक्षरों के आस-पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है, उसे संधि कहते हैं।'

श्री किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, 'जब दो या अधिक वर्ण पास-पास आते हैं तो कभी-कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहते हैं।'

"दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार ही **'सन्धि'** कहलाता है।" यह परिवर्तन तीन प्रकार से होता है-
(i) दो वर्ण मिलकर एकाकार हो जाते हैं।
(ii) दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं।
(iii) दोनों में से एक बदल जाता है और एक मूल रूप में रहता है।

यथा-

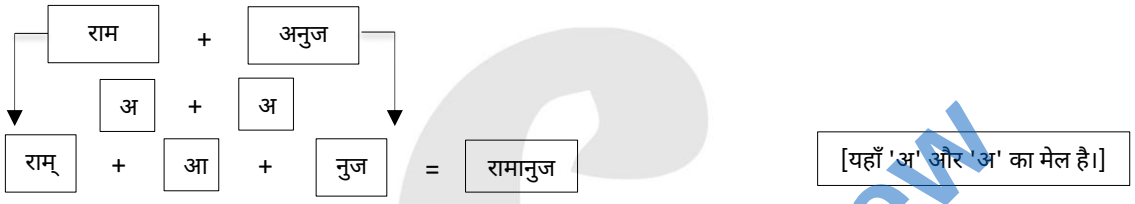

नोट: यदि वर्णों के मेल होने पर परिवर्तन नहीं होता है तो इसे सन्धि नहीं 'संयोग' कहते हैं।
जैसे- देशप्रेम = देश +प्रेम

संधि-विच्छेद- वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणामस्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः उन वर्णों/ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है, जैसे-
दो शब्द वर्ण = मेल = संधियुक्त शब्द
महा + ईश आ + ई = महेश
यहाँ (आ + ई) दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप 'ए' ध्वनि उत्पन्न हुई और संधि का जन्म हुआ।
संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा।

संधि युक्त शब्द	**संधि विच्छेद**
जैसे- महेश	- महा + ईश
मनोबल	- मनः + बल बल
गणेश	- गण + ईश आदि।

संधि के तीन भेद हैं-

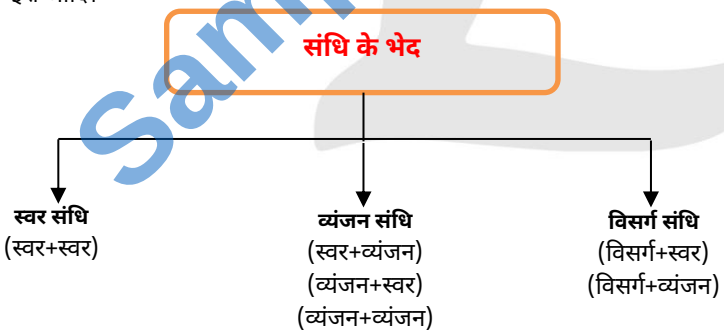

1. स्वर सन्धि

परिभाषा :- दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को 'स्वर सन्धि' कहते हैं,

- हिन्दी में ग्यारह स्वर होते हैं-
  स्वर = अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ (11)
  मात्राएँ = 0, ा , ि, ी , ु , ू , े , ै , ो, ौ, (10)
- जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास-मात्रा व समय कम लगता है, वे 'ह्रस्व स्वर' कहलाते हैं। संख्या = चार
  अ, इ, उ,ऋ
- 'ऋ' दीर्घ होता है; परन्तु इसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है। हिन्दी में केवल इसकी मात्रा ही प्रयुक्त होती है। मात्रा =६
- जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास-मात्रा व समय ह्रस्व की तुलना में दुगुना लगता है, वे 'दीर्घ स्वर' कहलाते हैं। संख्या = सात
- जिन स्वरों की बनावट समान होती है, वे 'सजातीय स्वर' कहलाते हैं।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

स्वर सन्धि के पाँच भेद होते हैं :-

(i) दीर्घ स्वर सन्धि: - अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ में से कोई भी स्वर अपने सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पास आए तो दोनों के बदले वैसा ही (सजातीय) दीर्घ स्वर हो जाता है।

➢ **नोट**: धन (+) के बायीं ओर केवल स्वर मात्राएँ प्रयुक्त होती हैं और दायीं ओर स्वयं स्वर अपने मूल रूप में होते हैं।

सूत्र :- अ/आ + अ/आ = आ

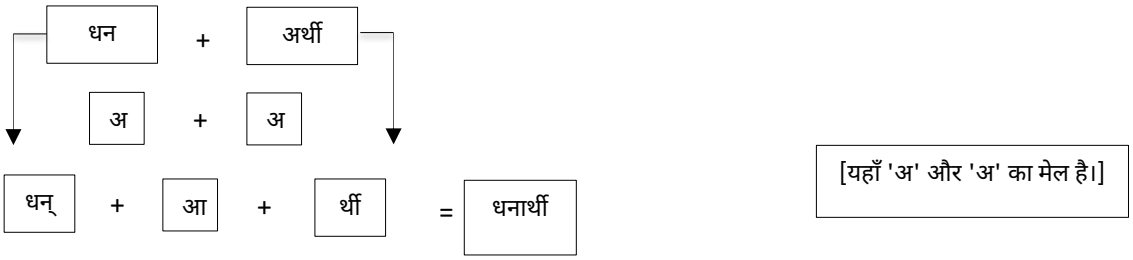

देह	+	अंत	=	**देहांत**	[अ + अ]
दैत्य	+	अरि	=	**दैत्यारि**	[अ + अ]
मिष्ट	+	अन्न	=	**मिष्टान्न**	[अ + अ]
सूर्य	+	अस्त	=	**सूर्यास्त**	[अ + अ]
कुश	+	आसन	=	**कुशासन**	[अ + आ]
देव	+	आलय	=	**देवालय**	[अ + आ]
राम	+	आधार	=	**रामाधार**	[अ + आ]
रत्न	+	आकर	=	**रत्नाकर**	[अ + आ]
धर्म	+	आत्मा	=	**धर्मात्मा**	[अ + आ]
परम	+	आनंद	=	**परमानंद**	[अ + आ]
परम	+	आवश्यक	=	**परमावश्यक**	[अ + आ]
माया	+	अधीन	=	**मायाधीन**	[आ + अ]
कदा	+	अपि	=	**कदापि**	[आ + अ]
विद्या	+	अनुराग	=	**विद्यानुराग**	[आ + अ]
दीक्षा	+	अंत	=	**दीक्षांत**	[आ + अ]
वार्ता	+	आलाप	=	**वार्तालाप**	[आ + आ]
महा	+	आत्मा	=	**महात्मा**	[आ + आ]
राम	+	अवतार	=	**रामावतार**	[अ + अ]
सत्य	+	अर्थी	=	**सत्यार्थी**	[अ + अ]
धर्म	+	अधर्म	=	**धर्माधर्म**	[अ + अ]
पर	+	अधीन	=	**पराधीन**	[अ + अ]
चरण	+	अमृत	=	**चरणामृत**	[अ + अ]
मुर	+	अरि	=	**मुरारि (कृष्ण)**	[अ + अ]
परम	+	अर्थ	=	**परमार्थ**	[अ + अ]
अप	+	अंग	=	**अपांग (नेत्रों के कोर)**	[अ + अ]
गीत	+	अंजलि	=	**गीतांजलि**	[अ + अ]
परम	+	आत्मा	=	**परमात्मा**	[अ + आ]
द्रौण	+	आचार्य	=	**द्रौणाचार्य**	[अ + आ]
शरण	+	आगत	=	**शरणागत**	[अ + आ]
हिम	+	आलय	=	**हिमालय**	[अ + आ]
विद्या	+	अर्थी	=	**विद्यार्थी**	[आ + अ]
कविता	+	अवली	=	**कवितावली**	[आ + अ]
महा	+	आशय	=	**महाशय**	[आ + आ]
आत्मा	+	आनन्द	=	**आत्मानन्द**	[आ + आ]
भोजन	+	आलय	=	**भोजनालय**	[अ + आ]
रेखा	+	अंकित	=	**रेखांकित**	[आ + अ]
सह	+	अनुभूति	=	**सहानुभूति**	[अ + अ]
विकल	+	अंग	=	**विकलांग**	[अ + अ]
राम	+	अर्जुन	=	**रामार्जुन**	[अ + अ]
नित्य	+	आनन्द	=	**नित्यानन्द**	[अ + आ]
शाक	+	आहारी	=	**शाकाहारी**	[अ + आ]
द्वीप	+	आधार	=	**द्वीपाधार**	[अ + आ]
कृपा	+	आकांक्षी	=	**कृपाकांक्षी**	[आ + आ]
वार्ता	+	आलाप	=	**वार्तालाप**	[आ + आ]

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

(3) प्रदत्त (4) वंतन

Ans. (1)

64. Ability के लिए सही पारिभाषिक शब्द है?

(1) उत्तम (2) सर्वोत्तम
(3) योग्यता (4). अच्छा

Ans. (3)

65. किस विकल्प में हिन्दी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है-

(1) Appeasement - तुष्टीकरण
(2) Judicious- विधिसम्मत
(3) Arbitrary - उचित
(4) Accountability - लेखा संबंधी

Ans. (1)

66. इनमें से किस विकल्प में वाक्य/वाक्यांश का अंग्रेजी अनुवाद सही है?

(1) संस्तुतिपूर्वक अग्रेषित - Dispatched with recommendation
(2) आपके अनुमोदन की प्रत्याशा में - In anticipation of your consent
(3) अकादमिक अवकाश - Educational Holiday
(4) आवश्यक कार्यवाही कर अनुगृहीत करें - Do the needful and oblige.

Ans. (4)

67. अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द 'Allotment' के लिए हिन्दी का समानार्थक शब्द है-

(1) पंजीयन (2) निस्तारण
(3) आवंटन (4) संशोधन

Ans. (3)

68. सही पारिभाषिक शब्द नहीं है?

(1) Respondent = प्रतिवादी
(2) Deterrent Punishment = निवारक दंड
(3) Legal Protection = न्यायिक संरक्षण
(4) De facto = वस्तुतः

Ans. (3)

व्याख्या- Legal Protection= कानूनी संरक्षण, विधिक संरक्षण

69. किस विकल्प में हिन्दी समानार्थक नहीं है?

(1) Gazette – गजट
(2) Supplementary = पूरक
(3) Academic शैक्षणिक
(4) Provident Fund वेतनविधि

Ans. (4)

व्याख्या- Provident Fund = भविष्य निधि।

70. 'भारमुक्त' करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक पारिभाषिक शब्द क्या होगा?

(1) Reimburse (2) Relapse
(3) Relax (4) Relieve

Ans. (4)

71. 'निरस्त करना' शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द होगा-

(1) Void (2) Revalidate
(3) Routine (4) Revoke

Ans. (4)

72. 'Toll Tax' अंग्रेजी शब्द का हिन्दी पारिभाषिक शब्द बताइये-

(1) पथकर (2) पुनर्भरण
(3) राहगीर (4) व्यापार शुल्क

Ans. (1)

73. विधेयक, आयोग, विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प चयन कीजिए-

(1) Cabinet, Commitment, Biennial
(2) Bill, Commission, Appropriation
(3) Addict, Committee, Attorney
(4) Cartage, Bid, Deal

Ans. (2)

74. 'नगदी' के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त समानार्थक शब्द होगा-

(1) Cash in hand
(2) Hard cash
(3) Cash payment
(4) Cash in imprest

Ans. (2)

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

अध्याय- 22
संक्षिप्तीकरण

किसी गद्यांश अथवा पद्यांश के मूल पाठ या भावार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना उसे लगभग एक-तिहाई शब्दों में लिखना सार - लेखन अथवा संक्षिप्तीकरण कहलाता है। यह संक्षेप में इस तरह होना चाहिए कि अनुच्छेद की मूल भावना खंडित न हो । संक्षेपण की आवश्यकता मनुष्य के आज के व्यस्ततम जीवन में समयाभाव के कारण उत्पन्न हुई । विस्तृत विवरणों के स्थान पर संक्षिप्त लेखन जीवन की आवश्यकता हो गया। इसलिए संक्षेपण लेखन की ऐसी शैली है जिसमें कम समय और श्रम में सारगर्भित, साभिप्राय लेखन के साथ अनावश्यक वर्णन से बचा जा सकता है।

संक्षिप्तीकरण से संबंधित सामान्य नियम-

1. संक्षिप्तीकरण मूलतः अनुच्छेद के भावार्थ का स्वतःपूर्ण पाठ होता है इसलिए संक्षिप्तीकरण को पढ़ने के बाद मूल अनुच्छेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती ।
2. संक्षिप्तीकरण मूल पाठ का लगभग एक तिहाई सार संक्षेप होता है इसलिए पाठ की मौलिकता को खंडित किए बिना कम शब्दों में ही लिखा जाना चाहिए ।
3. संक्षिप्तीकरण मौलिक रचना को ही कम शब्दों में लिखने की शैली होने के कारण उसमें प्रयुक्त भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मूल पाठ के अनुरूप कम शब्दों में अधिक विवरण व तथ्यों को समेटा जा सके।
4. संक्षिप्तीकरण में 'गागर में सागर' भरने की उक्ति सार्थक होती है अतः भाषा की सामासिकता के साथ भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण तथा स्पष्ट होनी चाहिए।
5. किसी भी अनुच्छेद अथवा पाठ का संक्षिप्ततम रूप उसका ' शीर्षक ' ही होता है तथा वही उस पाठ का सार - संकेतक है जिससे पाठक उसके विभिन्न पक्षों का अनुमान कर सकता है। अतः शीर्षक पाठ का केंद्रीय भाव प्रकट करनेवाला, संक्षिप्त तथा आकर्षक होना चाहिए । संक्षिप्तीकरण में वाक्यों को ज्यों का त्यों दोहराना नहीं चाहिए बल्कि उसके क्रिया रूपों में यथोचित परिवर्तन कर उन्हें सरल व सुबोध बनाया जाना चाहिए ।
6. संक्षिप्तीकरण को सार, संक्षेप, सार-संक्षेप, सारांश अथवा संक्षेपण भी कहा जाता है।

निम्न अवतरणों का संक्षेपण कीजिए-

1. किसी देश की उन्नति एवं अवनति उस देश के साहित्य पर ही अवलंबित है। चाहे वह देश को उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा दे और चाहे तो अवनति के गर्त में गिरा दे । कवि रवि की पहुँच से भी अधिक प्रकाश करता है। वही निर्जीव जाति में प्राण-प्रतिष्ठा करता है और निराशापूर्ण हृदय में आशा का संचार करता है । वही राजनीति को प्रेरणा देता है तथा राजनीतिज्ञों का पथ-प्रदर्शन करता है। वही अतीत के गौरव - गीत गाता है और साथ ही भविष्य की स्वर्णिम कल्पना करता है; वही सोई हुई जाति को जगाता है और उत्साह का संचार करता है ।

   संक्षिप्तीकरण - देश का उत्थान - पतन साहित्य पर ही निर्भर है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि | साहित्य निर्जीव लोगों में प्राण-प्रतिष्ठा करनेवाला, राजनीति का पथ-प्रदर्शक, अतीत का गायक और भविष्य का स्वप्नदृष्टा होता है ।
2. पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ । यही स्वराज्य की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति जिस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है, उसे अपनी मातृभूमि समझने लगता है, तो उसका मन मातृभूमि से जुड़ जाता है। मातृभूमि उसके लिए देवता हो जाती है। उसके हृदय के भाव मातृभूमि के हृदय में जा मिलते हैं। जीवन में चाहे जैसा अनुभव हो, वह मातृभूमि से द्रोह की बात नहीं सोचता, मातृभूमि के प्रति जब यह भाव दृढ़ होता है, वहीं से सच्ची राष्ट्रीय एकता का जन्म होता है । उस स्थिति में मातृभूमि पर बसने वाले नागरिकगण एक-दूसरे से सौदा करने या शर्त तय करने की बात नहीं सोचते । मातृभूमि के प्रति अपने कर्त्तव्य की बात सोचते हैं।

   संक्षिप्तीकरण - जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि से माता के समान प्रेम करता है तब राष्ट्रीयता का जन्म होता है। मातृभूमि के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करते हुए वह कभी उसके प्रति कृतघ्नता का व्यवहार नहीं करता।
3. आधुनिक जीवन में समाज और राष्ट्र के स्तर पर समाचार-पत्रों का बहुत ही विशिष्ट और ऊँचा स्थान है। समाचार-पत्र मानो अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मानदण्ड बन गए हैं । जिस देश में जितने अच्छे और जितने अधिक समाचार-पत्र होते हैं वह देश उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है, बहुत-से क्षेत्रों में जो काम समाचार-पत्र कर जाते हैं वे बड़ी सेनाएँ और बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं कर पाते । समाचार-पत्र एक ओर तो जनता का मत सरकार तक पहुँचाते हैं और दूसरी ओर सुदृढ़ एवं संतुष्ट लोकमत तैयार करते हैं। देश को सभी प्रकार से सजग रखने में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है और इसके मुकाबले कोई अन्य माध्यम इतना सशक्त नहीं कहा जा सकता ।

   संक्षिप्तीकरण- समाचार - पत्रों का देश और समाज में बड़ा महत्त्व है। ये राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति और शक्ति के मानदण्ड होते हैं। ये सुदृढ़ लोकमत तैयार करने के सशक्त साधन हैं | समाचार - पत्र सरकार पर भी नियंत्रण रखते हैं और देश को सजग तथा सजीव बनाये रखते हैं।

अभ्यास हेतु अनुच्छेद (संक्षिप्तीकरण कीजिए) -

1. आज के भागदौड़ के इस युग में न केवल व्यापारी, वकील, अभिनेता, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनीयर और प्रबंधक ही तनाव के शिकार हैं, बल्कि अपने केरियर और परीक्षा से चिन्तित छात्र-छात्राएँ भी कम तनावग्रस्त नहीं हैं। इसका बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है । कुछ लोग आर्थिक तंगी के कारण तनावग्रस्त हैं तो कुछ सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न होते हुए उन्हें बनाए रखने और निरंतर बढ़ाने की भाग-दौड़ से तनावग्रस्त हैं। यह तनाव हृदय रोग, अल्सर, मधुमेह और दूसरी बीमारियों का भी कारण बन रहा है । इस तनाव और भागदौड़ के कारण व्यक्ति अपने खानपान तक की उपेक्षा करता है और कभी-कभी तो दिन-भर भोजन तक नहीं कर पाता। गंभीर समस्याओं से जूझते हुए उसे इतना भी समय नहीं मिल पाता कि वह अपने घर-परिवार, सगे- संबंधियों के साथ फुरसत से बैठ सके ।
2. लोक गीतों की मूल बोली अथवा भाषा का पता लगाना कठिन ही नहीं, असंभव - सा है, क्योंकि लोकगीत लोक-जीवन से उत्पन्न होकर भाषा के प्रवाह मे तैरते चलते हैं। मनुष्य के कंठ ही उनके घाट हैं। उपयुक्त कंठ पाकर कोई कहीं बसेरा ले लेता है। लोकगीतों पर उनके आसपास का ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि उनका मूल रूप कायम नहीं रहता। इससे जहाँ वे गाये जाने लगते हैं, वहाँ के बहुत-से शब्द, जो पर्यायवाची होते हैं, उनमें बैठ जाते हैं और उनके मूल शब्दों को स्थान च्युत कर देते हैं। इसमें कौनसा गीत पहले-पहले कहाँ बना इसका पता नहीं लगाया जा सकता। केवल इस बात का पता लग सकता है कि कौनसा गीत कहाँ गाया जाता है।

अवतरण-1

निर्देश-अधोलिखित गद्यांश का उसके एक-तिहाई (1/3) शब्दों में संक्षेपण कीजिए।

बेरोजगारी की समस्या समाज में आज अत्यन्त भयंकर एवं गम्भीर बन गयी है। देश का शिक्षित एवं बेरोजगार युवक अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति हड़ताले करने, बसें जलाने एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने में कर रहा है वहीं कई बार कुण्ठित हो आत्महत्या जैसा भयंकर कुकृत्य कर बैठता है। कहते हैं 'खाली दिमाग शैतान का घर" कहावत को हमारे युवक चरितार्थ कर रहे हैं। सच भी है मरता क्या नहीं करता, आवश्यकता सब पापों की जड़ है। अतः चोरी, डकैती, तस्करी, अपहरण तथा आतंकवादी गतिविधियों में वह सक्रिय हो रहा है।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

LINKING PUBLICATION

is available at

www.LinkingLaws.com >> Linking Publication

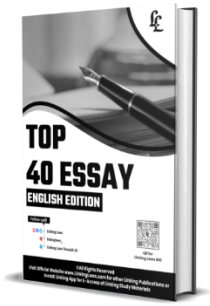

Top 40 Hindi Essays

Paperathon Booklet

English Essay | **हिन्दी निबन्ध**

E-Study Material for Judiciary and Law Exams is available at **Linking App.**

Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com

Linking Bare Act©

Available Bare Acts

1. Criminal Major Laws 2023 (BNS, BNSS, BSA)
2. Constitution of India
3. Criminal Minor Laws
4. Civil Minor Laws
5. CPC, 1908
6. Local Laws
7. Family Laws
8. IT Act, 2000
9. A&C Act, 1996
10. Environmental Laws
11. Advocate Act, 1961
12. Land Acquisition, 2013
13. AIBE Additional Bare Acts
14. Consumer Protection Act, 2019

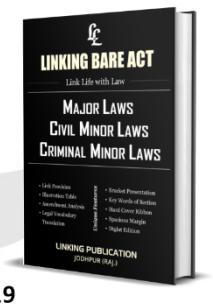

Linking Support
773 774 6465
(Publication)

Order Now

ALL-IN-ONE PAPERATHON©

For Preliminary, Mains & Interview

Covered more than 15 States' Judiciary Exams. Available in English and Hindi Edition

English Edition

Hindi Edition

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com

E-Study Material for Judiciary and Law Exams is available at **Linking App.**

Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com

Civil Major Laws | Civil Minor Laws
Criminal Major Laws | Criminal Minor Laws
Family Laws | Uncodified Law

www.LinkingLaws.com

Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Sample Preview